न्यायालय – विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, सिरोही (राज.)

पीठासीन अधिकारी - ललित डाबी, रा.न्या.से. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(अतिरिक्त प्रभार)

विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या - 66/2023 (CIS No. 127/2023)
संस्थापना तिथि - 26.10.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - 275/2023 पुलिस थाना पिण्डवाडा, सिरोही

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक

- अभियोगी

विरुद्ध

1. अर्जुन पुत्र रामाराम आयु 23 वर्ष निवासी चामुण्डेरी थाना नाणा जिला पाली (राज.)
2. सूर्यपाल सिंह पुत्र दानाराम आयु 34 वर्ष निवासी रावलो का वास चामुण्डेरी थाना नाणा जिला पाली (राज.)
3. जगदीश सिंह पुत्र चीमन सिंह आयु 25 वर्ष निवासी चामुण्डेरी थाना नाणा जिला पाली (राज.)
4. मोहनसिंह पुत्र भुरसिंह आयु 32 वर्ष निवासी हिरोला, चामुण्डेरी थाना नाणा जिला पाली (राज.)

- अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 366, 376, 376(2)(n), 120B भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

उपस्थित:-

1 श्री विरेन्द्र एम. चौहान, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
2 श्री नाथुसिंह देवडा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

-: निर्णय :-

दिनांक:- 08.07.2026

1 प्रकरण में महिला के प्रति यौन अपराध अंतर्वलित होने से परिवादीया की पहचान गोपनीय बनाए रखे जाने हेतु इस निर्णय में परिवादीया को "X" से संबोधित किया जा रहा है।

2 अभियोजन मामले के सुसंगत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.08.2023 को परिवादीया "X" ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना पिण्डवाडा में इस आशय की प्रस्तुत की कि परिवादीया का विवाह विनोद कुमार के साथ हुआ था। अर्जुन जो उनकी रिश्तेदारी में लगता है वह परिवादीया के ससुराल आया एवं अर्जुन ने परिवादीया के साथ फोटो खीचें बाद में अर्जुन ने परिवादीया को फोन करके कहा कि उन दोनों के फोटो साथ है और परिवादीया को ब्लैकमेल कर कहने लगा कि उसे 10,000/- रूपये दो नहीं तो वह परिवादीया के फोटो उसके पति को दिखा देगा जिससे परिवादीया ने डर के कारण अर्जुन को 10,000/- रूपये दिये एवं उसके बाद अर्जुन परिवादीया को बार-बार फोन करके ब्लैकमेल कर रूपयों की मांग करता रहा जिससे परिवादीया अर्जुन को कभी 10,000/- रूपए तो कभी 20,000/- रूपए देते, लाखों रूपये दिये एवं परिवादीया के पति के द्वारा परिवादीया से रूपयों का हिसाब मांगने पर परिवादीया द्वारा अपने पति को हिसाब नहीं बताने पर परिवादीया एवं उसके पति के बीच में तलाक हो गया एवं उक्त तलाक भी अर्जुन ने परिवादीया से जबरदस्ती करवाया। अर्जुन के द्वारा परिवादीया के पीहर में रहने के दौरान भी रूपयो की मांग की जाने लगी लेकिन परिवादीया के पास में रूपए नहीं होने से अर्जुन को मना कर दिया। आज से करीब 11-12 दिन पूर्व रात को करीब 10:00 बजे परिवादीया के घर पर अप्रार्थीगण अर्जुन, सुर्यपाल व जगदीश गाडी बाला परिवादीया के घर पर आये एवं अर्जुन ने परिवादीया को कहा कि चुपचाप उसके साथ में चल नहीं तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और आवाज मत करना लेकिन परिवादीया ने जाने से मना कर दिया तो अर्जुन परिवादीया को जबरदस्ती गाडी में डालकर चामुण्डेरी लेकर गया जहां पर रात को अप्रार्थी अर्जुन ने परिवादीया के साथ में परिवादीया की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया एवं उसके बाद अर्जुन परिवादीया को ब्यावर लेकर गया एवं वहां पर भी परिवादीया के साथ में खोटा काम किया....इत्यादि कार्यवाही करावें।

3 उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना पिण्डवाडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 275/2023 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 366, 376, 376(n), 120 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4 आरोप पत्र प्रस्तुति के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दांडिक मूल प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस आरोप उभय पक्ष की सुनी जाकर अभियुक्त अर्जुन को धारा 366/120B, 376, 376(2)(n) भारतीय दंड संहिता के अपराध का, अभियुक्त जगदीशसिंह व मोहनसिंह को धारा 366/120B भारतीय दंड संहिता सपठित धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार

निवारण) अधिनियम के अपराध का एवं अभियुक्त सूर्यपालसिंह को धारा 366/120B भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन समझकर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ की गई।

5 माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2025 INSC 1433 {Manoj Bhai Jetha Bhai Parmar (Rohit) Vs. State of Gujarat} में पारित आदेश की अनुपालना में इस प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का विवरण तालिका के रूप में निम्न प्रकार अंकित किया जा रहा है -

प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परिक्षित अभियोजन साक्षीगण -

अभियोजन साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्षी का विवरण
PW - 1	परिवादीया "X"	परिवादीया
PW – 2	मंशीनाथ	मौका मौतबिर घटनास्थल निरीक्षण प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय
PW - 3	मुकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप	मौका मौतबिर घटनास्थल निरीक्षण प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ
PW - 4	गोमाराम	परिवादीया का पिता-पक्षद्रोही घोषित
PW – 5	सकी देवी	परिवादीया की माता-पक्षद्रोही घोषित
PW - 6	कैलाश कुमार	मौका मौतबिर घटनास्थल निरीक्षण
PW - 7	ओमप्रकाश	अभियुक्त व परिवादीया के रूकने की ताईदकर्ता
PW-8	मुकेश कुमार पुत्र जीवराज	ताईद किरायानामा
Pw-9	पंकेश कुमार	मौतबिर गिरफ्तारी मुलजिम जगदीश व मोहनसिंह एवं फर्द जप्ती कार आरजे 24 सीए 7073
PW-10	कमलेश	मौतबिर मुलजिम जगदीश सिंह, मोहनसिंह, अर्जुन व सुर्यपाल गिरफ्तारी, मौतबीर जब्ती वाहन एवं धारा 65B साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
PW-11	सीताराम	कायमी प्रकरण व नतीजा देना

प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य -

अंकित प्रदर्श	प्रलेख की प्रकृति	द्वारा साबित/प्रमाणित/सम्बन्धित
प्रदर्श पी.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.ड.01

प्रदर्श पी.02	परिवादीया के पुलिस बयान	पी.ड.01
प्रदर्श पी. 03	परिवादीया के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानों का लिफाफा	पी.ड.01
प्रदर्श पी. 04	परिवादीया के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान	पी.ड.01
प्रदर्श पी.05, 06, 07 व 08	फर्द नक्शा मौका	पी.ड.01, 02, 03, 04
प्रदर्श पी.09	अभियुक्त के साथ राजीखुशी जाने बाबत परिवादीया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट	पी.ड.01
प्रदर्श पी.9-I	पुलिस बयान गोमाराम	पी.ड.04
प्रदर्श पी.9-II	मकान का किरायानामा	पी.ड.08
प्रदर्श पी.10	परिवादीया की मेडिकल जांच रिपोर्ट	पी.ड.01
प्रदर्श पी.11	चाक एफआईआर	पी.ड.11
प्रदर्श पी.10 व 11-I	फर्द गिरफ्तारी जगदीशसिंह व मोहनसिंह	पी.ड. 09
प्रदर्श पी.12	फर्द जब्ती वाहन अल्टो कार आरजे 24 सीए 7073	पी.ड.09
प्रदर्श पी.13	फर्द गिरफ्तारी अर्जुन	पी.ड.10
प्रदर्श पी.12 व 13 -I	एफएसएल रिपोर्ट	पी.ड. 11
प्रदर्श पी.14	फर्द जब्ती अभियुक्त अर्जुन के कब्जे से मोटरसाइकिल आरजे 03 बीएस 6557	पी.ड.10
प्रदर्श पी.15, 16 व 17	मौका तस्दीक	पी.ड.10
प्रदर्श पी.18	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सुर्यपालसिंह	पी.ड.10

6 अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया तो अभियुक्तगण ने स्वयं के विरूद्ध प्रस्तुत हुई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया एवं बचाव साक्ष्य में किसी गवाह को परिक्षित करवाना नहीं चाहा।

7 **बहस अंतिम-** विद्वान उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया की अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होते हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

8 इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने विशिष्ट लोक अभियोजक के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में स्वयं परिवादीया व अन्य तात्विक गवाह ने अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं की है एवं समस्त तात्विक गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। प्रकरण में प्रस्तुत एफएसएल रिपोर्ट से भी अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9 विद्वान उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं तर्कों के परीप्रेक्ष्य में पत्रावली व सुसंगत विधिक प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया

10 **<u>हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अब अवधारणार्थ प्रश्न यह हैं कि:-</u>**

1. "क्या अभियुक्तगण सभी ने किसी दिनांक पर साथ मिलकर रात्रि समय 10:00 बजे सरहद मौजा सिवेरा से अभियोक्त्री "X" से अयुक्त मैथुन करने के प्रयोजन से उसका अपहरण/व्यपहरण किया ?"

2. "क्या अभियुक्त अर्जुन ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्त्री "X" की इच्छा के विरूद्ध जबरन उसके साथ संभोग कर बलात्कार किया ?"

3. "क्या अभियुक्त अर्जुन ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्त्री "X" का अपहरण/व्यपहरण करने के पश्चात् उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती उसके साथ बारम्बार संभोग कर बलात्संग कारित किया ?"

4. " क्या अभियुक्तगण जगदीश सिंह व मोहनसिंह ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्त्री "X" को मीणा अनुसूचित जनजाति की सदस्या होना जानते हुए उसके साथ भारतीय दंड संहिता के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय बलात्संग का अपराध किया ?"

यदि हाँ, तो दंड की उचित मात्रा क्या होगी?

11 **<u>प्रकरण में प्रस्तुत हुई साक्ष्य का प्राथमिक अवलोकन -</u>**

11.1 प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराधों को प्रमाणित करवाए जाने हेतु कुल 11 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है जिनमें पी.ड.01 स्वयं परिवादीया "X" रही है, परिवादीया ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान कथन किए है वह सिवेरा रहती है और गृहणी है। उसे मुलजिमान दिनांक 17.08.2023 को लेकर नहीं गये थे। उसने पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। वह पढ़ी लिखी नहीं है। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुई है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

11.2 पी.ड.02 मंशीनाथ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि वह इन्द्रा कॉलोनी सिवेरा में रहता है, वह अनपढ है, कितने वर्ष पूर्व की बात हैं उसे पता नहीं। उससे पुलिस ने केवल अंगूठा लगवाया था, किस बात का लगवाया उसे मालूम नहीं, पुलिस ने कहा था कि वे मौके पर आए हैं इस बात का अंगूठा देना हैं। तब घर के पास में होने के कारण उसने अंगुठा दिया था, किन कागजों पर हस्ताक्षर कराए उसे पता नही। यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

11.3 पी.ड.03 मुकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप ने मुख्य परीक्षा के दौरान कथन किए हैं वह सिवेरा में मालनू रोड पर कुएं पर रहता है। पुलिस ने उसके सामने आज से 02 वर्ष पूर्व मौका देखा था। सिवेरा में इन्द्रा कॉलोनी, चामुंडेरी में दानाराम के वेरे पर पुलिस वालों ने मौका देखा था। वह और मंशीनाथ साथ में थे तथा पुलिस वाले थे तथा लड़की के पिता गोमाराम जी भी थे एवं इनके अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था। उक्त घटनास्थल लड़की के पिता गोमाराम जी ने पुलिस को बताया था। उस वक्त उसके कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। घटनास्थल प्रदर्श पी 05 पर पुलिस के कहने पर उसने खाली कागजों पर सी से डी भाग में हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी 06 दानारामजी के खेत की फर्द पर सी से डी भाग में उसके हस्ताक्षर है। चामुंडेरी से लुन्दाना रोड पर वह साथ में नहीं गया था, वहां पर मौका नक्शा की उसे जानकारी नहीं हैं। उसने तो दानारामजी के खेत पर ही सभी हस्ताक्षर करे थे। पीडिता के पिता व पीड़िता ने कहा था कि घटनास्थल प्रदर्श पी 05, 06 पर पीडिता गयी थी, उसने हस्ताक्षर किए थे। घटनास्थल तीसरा व चौथा किस तारीख को देखा उसे जानकारी नहीं हैं। प्रदर्श 07 व 08 पर सी से डी भाग में उसके हस्ताक्षर दानारामजी के खेत पर ही लिए थे, उस वक्त कौन कौन साथ में थे आज उसे जानकारी नहीं हैं। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

11.4 पी.ड.04 गोमाराम परिवादीया का पिता रहा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान कथन किए हैं कि वह सिवेरा में रहता है एवं खेतीबाडी करता है। उसके एक लडकी व एक लडका है। उसका पुत्र बाबू एवं पुत्री परिवादीया "X" है। परिवादीया का विवाह गांव लाज में विनोद के साथ किया था। परिवादीया के दो पुत्र है। दो-तीन साल पहले परिवादीया को उसके पति विनोद द्वारा मारपीट करने से उसकी संतान सहित उनके घर पर रह रही थी। उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। उसकी पुत्री परिवादीया के गुम होने के कारण उसने दिनांक 14.08.2023 को पुलिस थाना पिण्डवाडा में उसकी पुत्री परिवादीया "X" की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। पुलिस में गुमशुदगी के संबंध में उसके बयान लिये थे। उसने पुलिस को उसका फोटो भी पेश किया था। उसकी पुत्री परिवादीया "X" को चामुण्डेरी वाले लेकर आये थे फिर उन्हें थाने वालों ने बुलाया था।

उसकी पुत्री परिवादीया "X" को जो व्यक्ति लेकर गया था आज उसका नाम उसे याद नहीं है और उसको कहां-कहां लेकर गया था उसे पता नहीं है, चामुण्डेरी लेकर गया था यह पता है। कितने लोग उसकी पुत्री "X" को लेकर गये थे उसे जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने उनके घर का मौका देखा था जो मौका प्रदर्श पी 05 है जिस पर एक्स 01 स्थान पर उसकी अंगुष्ठ निशानी है। पुलिस वालों ने मौका फर्द में क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं है। दूसरा मौका चामूण्डेरी खेत का देखा था जो मौका फर्द प्रदर्श पी 06 है जिस पर एक्स 01 स्थान पर उसकी अंगुष्ठ निशानी है। दुसरे मौके भी दूसरे या तीसरे दिन देखे थे जो मौका फर्द प्रदर्श पी 07 व 08 है जिस पर एक्स 01 स्थान पर अंगुष्ठ निशानी है। इस गवाह को विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

11.5 पी.ड.05 सकी देवी परिवादीया की माता रही है इनका मुख्य परीक्षा के दौरान कथन रहा है कि वह सिवेरा में रहती है एवं खेती बाडी का कार्य करती है। उसके एक लडका व एक लडकी है। लडकी का नाम "X" है व लडके का नाम बाबु है। परिवादीया "X" की शादी बसंतगढ़ करवायी थी। परिवादीया "X" के दो पुत्र है। "X" का विवाह विनोद के साथ करवाया था। कितने साल पहले विवाह करवाया था उसे याद नहीं है। उसकी पुत्री "X" के दो पुत्र है रूद्राक्ष व राहूल है। उसकी पुत्री "X" डेढ़ दो साल पहले खो गयी थी। उन्होंने सोचा कि उसकी पुत्री शौच करने गयी होगी, काफी समय से उसकी पुत्री घर पर नहीं आने पर और इधर उधर ढूंढने पर नहीं मिलने पर उसके पति ने उसकी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट पिण्डवाडा थाने में की थी। गुम हो जाने के तीन चार दिन बाद उसकी पुत्री थाने में मिली थी थाने वाले का फोन आया था। वह और उसके घरवाले थाने से फोन आया था तब थाने गये थे। उसने उसकी पुत्री को पुछा ''तु कहा गयी थी एवं न ही उसने उसे बताया था उस वक्त बताया भी होगा तो उसे जानकारी नही है'' उस समय उसका दिमाग काम नही कर रहा था। उसकी पुत्री किसके साथ गयी थी उसे आज याद नही है। इस गवाह को विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

11.6 पी.ड.06 कैलाश कुमार के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार साक्ष्य है कि वह खेती बाडी करता है एवं बारेवडा शिवगंज में रहता है। पुलिस ने परिवादीया की निशादेही पर ब्यावर में घटनास्थल का मौका रूबरू मौतबिरान देखा था जो मौका करीबन 02 साल पहले देखा था। मौका देखा उस वक्त वह, मुकेश, परिवादीया व गोमाराम व डीप्टी साहब व पुलिस वाले मौजूद थे। घटनास्थल का मौका देखकर मौका नक्शा मुर्तिब किया था जो मौका

नक्शा प्रदर्श पी 08 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, ए से बी व सी से डी मुकेश व परिवादीया के व एक्स स्थान पर गोमाराम की अंगुष्ठ निशानी है इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

11.7 पी.ड.07 ओमप्रकाश के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार साक्ष्य है कि वह पहले सैल्समेन का काम करता था और बरांखद में रहता था लेकिन अभी वृद्ध होने से आराम कर रहा है। उसने मुकेश कुमार टॉक पुत्र जीवराज टॉक का कच्छहावा कॉलोनी ब्यावर में मकान किराये पर लिया था जिसमें वह और उसकी पत्नी रहते थे। उक्त मकान का किरायानामा बना हुआ है जो प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके एक पुत्र है जिसका नाम महेन्द्रसिंह है जो स्वरूपगंज में रहता है और ड्राईविंग करता है। उसके पुत्र महेन्द्रसिंह का फोन आया था कि उसके दोस्त आ रहे है उनको रोक लेना। करीब दो साल पहले आये थे किस तारीख को आये थे उसे याद नहीं है। मोहनसिंह के साथ एक लड़का और एक लड़की आयी थी जिसको उन्होंने उनके किराये के मकान में रखे थे और उस दिन वह और उसकी पत्नी वे सब उनके दूसरे रिश्तेदारों के यहां चले गये थे। वे लोग करीब एक-दो दिन बाद में चले गये थे। उस दिन उसका बेटा साथ में नहीं था केवल वे लोग ही आये थे। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

11.8 पी.ड.08 मुकेश कुमार पुत्र जीवराज के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार साक्ष्य है कि वह सीमेंट फेक्ट्री में प्राईवेट नौकरी करता है। उसके ब्यावर में दो मकान थे जिसमें से एक मकान फतेहपुरिया में आया हुआ है एक मकान कच्छहावा कॉलोनी में आया हुआ है। फतेहपुरिया वाला मकान उसने ओमप्रकाशजी को दिया था जो उसका रिश्तेदार है जिसका किरायानामा बना हुआ है जो उसने पुलिस को मांगने पर पेश किया था। उसने अपने किरायेदार ओमप्रकाश से पुछने पर उसने बताया था कि उसके पुत्र महेन्द्र का फोना आया था कि उसके कोई मिलने वाले आ रहे है जिनको वहां किराये के मकान पर रुकवाना है। उक्त मकान का किरायानामा बना हुआ है जो प्रदर्श पी 09 द है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

11.9 पी.ड.09 पंकेश कुमार के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार साक्ष्य है कि वह दिनांक 20.09.2023 को सीओ कार्यालय पिण्डवाडा में कानि. के पद पर तैनात था, उस रोज गुलजिम जगदीशसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपुत निवासी चामुण्डेरी थाना एवं मुलजिम मोहनसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुति निवासी हिरोला चामुण्डेरी थाना नाणा को अनुसंधान अधिकारी द्वारा रूबरू मौतबीरान उसके व कानि. कमलेश की उपस्थिति में जरिये फर्द गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 10 व 11 है जिस पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर है व सी से डी कानि. कमलेश के हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम जगदीशसिंह पुत्र चिमनसिंह से घटना में प्रयुक्त वाहन अल्टो जिसके वाहन नं. आरजे 24 सीए 7073 है को अनुसंधान अधिकारी द्वारा रूबरू मौतबीरान उसके व कानि. कमलेश की उपस्थिति में जरिये फर्द जब्त किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी कानि. कमलेश के हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

11.10 पी.ड.10 कमलेश के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार साक्ष्य है कि वह दिनांक 20.09.2023 को वृत कार्यालय पिण्डवाडा में तैनात था, वहां पर उक्त प्रकरण में जगदीशसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपुत निवासी चामुण्डेरी पुलिस थाना नाना जिला पाली, मोहनसिंह पुत्र भूरसिह जाति राजपुत निवासी हिरोला चामुण्डेरी को अनुसंधान अधिकारी जेठूसिंहजी ने जरिये फर्द गिरफ्तार रूबरू मौतबिरान उसके व कानि. पंकेश की उपस्थिति में किया था जिसकी गिरफ्तारी फर्द प्रदर्श पी 10 व 11 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम जगदीश सिंह के कब्जे से एक कार आरजे 24 सीए 7073 को अनुसंधान अधिकारी जेठूसिंह ने रूबरू मौतबीरान उसके व कानि. पंकेश की उपस्थिति में जब्त की थी जिसकी जब्ती फर्द प्रदर्श पी 12 है जिस पर पंकेश व उसके सी से डी हस्ताक्षर है। दिनांक 27.09.2023 को मुलजिम अर्जुन को जरिये फर्द अनुसंधान अधिकारी ने रूबरू मौतबीरान उसके व कानि. अमरसिंह की उपस्थिति में गिरफ्तार किया था जो प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी कानि. अमरसिह के हस्ताक्षर है व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर है। दिनांक 27.09.2023 को अभियुक्त अर्जुन के कब्जे से अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक मोटरसाईकिल आरजे 03 बीएस 6557 को उसके व अमरसिंह के समक्ष जरिये फर्द जब्त की थी जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज अभियुक्त अर्जुन मीणा के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला पर सिवेरा गांव में पीडिता को अपने साथियों को लेकर जाने की मौका तस्दीक करवायी थी उसके बाद अभियुक्त अर्जुन व सुर्यपाल ने पीडिता "X" को लेकर उतरे, उस स्थान की एवं जहां पर पीडिता व अर्जुन रात रूके व दुष्कर्म किया उसकी मौका तस्दीक एवं दूसरे दिन अपने दोस्त अभियुक्त मोहनसिंह को बुलाकर उसकी स्वयं की मोटरसाईकिल पर सुमेरपुर तक छोड़ने की मौका तस्दीक उसने कानि. अमरसिंह की उपस्थिति में की थी जो मौका तस्दीक फर्द प्रदर्श पी 15, 16 व 17 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 29.09.2023 को अभियुक्त सुर्यपालसिंह पुत्र दानाराम जाति मीणा निवासी चामुण्डेरी पुलिस थाना नाना जिला पाली को अनुसंधान अधिकारी जेठूसिंहजी ने जरिये फर्द गिरफ्तार रूबरू मौतबीरान उसके व कानि. अमरसिंह की उपस्थिति में किया था जिसकी गिरफ्तारी फर्द प्रदर्श पी 18

है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

11.11 पी.ड.11 सीताराम के मुख्य परीक्षा के कथनों के अनुसार साक्ष्य है कि वह दिनांक 24.08.2023 को थानाधिकारी पिण्डवाडा के पद पर पदस्थापित था, उस रोज प्रार्थीया "X" पुत्री गोमाराम निवासी सिवेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही द्वारा एक टाईपशुदा रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर पेश की गयी थी जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी प्रार्थीया के हस्ताक्षर है तथा सी से डी पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन व इ से एफ उसके हस्ताक्षर है एवं एक्स स्थान पर प्रार्थीया की अंगुष्ठ निशानी है। प्रदर्श पी 01 के आधार पर काटी गयी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी उसके ई-हस्ताक्षर है। रिपोर्ट पर प्रकरण सं. 275/23 जुर्म धारा 363, 366, 376/34 भादसं. में दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली थानाधिकारी महिला थाना सिरोही को सुपुर्द की थी। बाद अनुसंधान पत्रावली प्राप्त होने पर मुलिजम अर्जुन के विरूद्ध जुर्म धारा 366, 376, 376(2)(एन), 120(बी) भादस एवं मुलजिम सुर्यपालसिंह पुत्र दानाराम के विरूद्ध 366, 120 (बी) भादस, मुलजिम जगदीशसिंह पुत्र चिमनसिंह एवं मोहनसिंह पुत्र भूरसिंह के विरूद्ध 366, 120(बी) भादस व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। उक्त प्रकरण में एफएसएल प्राप्त होने पर एफएसएल पेश की जो प्रदर्श पी 12 व 13 है। । इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के कथनों का उल्लेख आगामी विवेचना के पदों में सुसंगता के अनुरूप किया जा रहा है।

12 **<u>प्रस्तुत साक्ष्य का तुलनात्मक अवलोकन व विवेचन -</u>**

12.1 प्रकरण में अवधारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत साक्ष्य का तुलनात्मक अवलोकन व विवेचन करें तो प्रकरण में परीक्षित समस्त तात्विक गवाहन अपने बयानों में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं अभियोजन मामले का लैशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। स्वयं परिवादीया पी.ड.01 "X" भी अपने बयानों में पक्षद्रोही घोषित हुई है एवं अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य कारित किए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया हैं। इस गवाह को विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया जाकर विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई, किंतु उक्त प्रतिपरीक्षा में भी इस गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे अभियोजन मामले का किसी प्रकार का कोई समर्थन होता हो। रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 में वर्णित आपराधिक घटनाक्रम के संबंध में इस गवाह का स्पष्ट कथन रहा है कि ऐसी कोई आपराधिक घटना उसके साथ घटित नहीं हुई है। परिवादीया ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.02 व धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी.04 में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अपने पिताजी के दवाब में आकर देना बताया है। इस गवाह का स्पष्ट कथन रहा है

कि वह अपनी इच्छा से राजीखुशी अभियुक्त अर्जुन के साथ गई थी जिसके संबंध में उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी.09 पुलिस को पेश की थी।

12.2 पी.ड.04 गोमाराम व पी.ड.05 सकी देवी परिवादीया के क्रमशः पिता व माता रहे हैं। ये दोनों गवाह भी अपने बयानों में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं इन दोनों गवाहों के कथनों के अनुसार उसकी पुत्री परिवादीया के साथ उसका पति मारपीट करता था। परिवादीया के गुम होने पर उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादीया की दस्तयाबी के पश्चात् पुलिस वालों ने थाने में बुलाया था। परिवादीया को कौन व्यक्ति कहां-कहां लेकर गया इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। यद्यपि विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान पी.ड.04 गोमाराम का कथन रहा है कि उसकी पुत्री को जो व्यक्ति लेकर गया उसका नाम अर्जुन था किंतु जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है कि स्वयं परिवादीया पी.ड.01 "X" ने बयानों के दौरान स्पष्ट कथन किया है कि वह अपनी इच्छा से राजीखुशी अभियुक्त अर्जुन के साथ गई थी। परिवादीया की माता पी.ड.05 सकी देवी ने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि उसने अपने बयानों में पुलिस वालों को यह बताया हो कि उसकी पुत्री परिवादीया अर्जुन के साथ गई हो।

12.3 पी.ड.07 ओमप्रकाश व पी.ड.08 मुकेश कुमार के बयानों से यह तथ्य प्रकट होता है कि पी.ड.08 मुकेश कुमार के मकान में एक लड़का व लड़की एक-दो दिन आकर रूके, किंतु वह लड़का व लड़की अभियुक्त अर्जुन व परिवादीया "X" ही रहे हो इस संबंध में इन दोनों ही गवाहों के कोई कथन नहीं किए हैं। साथ ही साथ पी.ड. 07 ओमप्रकाश का प्रतिपरीक्षा के दौरान कथन रहे हैं कि लड़के-लड़की दोनों राजीखुशी आए थे, रूके थे और राजीखुशी चले गए थे।

12.4 पी.ड. 10 कमलेश एक औपचारिक गवाह रहा है जो अभियुक्त जगदीश सिंह, मोहनसिंह व अर्जुन की गिरफ्तारी के तथ्यों की पुष्टि करता है और अभियुक्त अर्जुन द्वारा मौका तस्दीक करवाया जाना बताता है। पी.ड. 11 सीताराम अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना बताता है। पी.ड. 02 मंशीनाथ व पी.ड. 03 मुकेश कुमार घटनास्थल निरीक्षण के मौतबिर गवाह रहे हैं जिनमें से पी.ड. 02 मंशीनाथ दोनों बयानों में पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं पुलिस द्वारा उसके साथ समक्ष घटनास्थल निरीक्षण की पुष्टि नहीं की है। उक्त सभी गवाह औपचारिक गवाह रहे हैं जिनके कथन अभियोजन मामले का साबित करने हेतु सहायक सिद्ध नहीं होते हैं।

12.5 जहां तक प्रकरण में प्रस्तुत एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 12 व 13 का प्रश्न है तो उक्त एफएसएल रिपोर्ट से भी अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं होती हैं। एफएसएल रिपोर्ट

प्रदर्श पी. 13 के अनुसार परिवादीया के वक्त घटना पहने हुए अंतःवस्त्र पर पाये गये मानव वीर्य के पुरूष डीएनए का मिलान अभियुक्त अर्जुन के लिए गए रक्त नमूने के डीएनए से नहीं हो पाया है।

12.6 इस प्रकार प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तात्विक गवाह स्वंय परिवादीया व परिवादीया के माता-पिता अपने बयानों में अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं करते हैं। परिवादीया "X" के बयानों के अनुसार स्वयं परिवादीया अपनी इच्छा से अभियुक्त अर्जुन के साथ गई थी और किसी अभियुक्त ने उसके साथ किसी प्रकार का कोई अपराधिक कृत्य कारित नहीं किया है। वक्त घटना परिवादीया 33 वर्षीय एक वयस्क महिला रही है जो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से परिपक्व रही है।

13 **निष्कर्ष -**

13.1 इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचनोपरांत यह न्यायालय इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराधों को प्रमाणित करवाए जाने में असफल रहा है एवं प्रकरण में अवधारणीय प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक रूप से रूप से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण समस्त आरोपित अपराधों में दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

-: आदेश :-

14 **अतः अभियुक्त 1. अर्जुन पुत्र रामाराम आयु 23 वर्ष निवासी चामुण्डेरी थाना नाणा जिला पाली (राज.) को आरोपित अपराध धारा 366/120B, 376, 376(2)(n) भारतीय दंड संहिता में, अभियुक्त 2. सूर्यपाल सिंह पुत्र दानाराम आयु 34 वर्ष निवासी रावलो का वास चामुण्डेरी थाना नाणा जिला पाली (राज.) को आरोपित अपराध धारा 366/120B भारतीय दंड संहिता में एवं अभियुक्त 3. जगदीश सिंह पुत्र चीमन सिंह आयु 25 वर्ष निवासी चामुण्डेरी थाना नाणा जिला पाली (राज.) व 4. मोहनसिंह पुत्र भुरसिंह आयु 32 वर्ष निवासी हिरोला, चामुण्डेरी थाना नाणा जिला पाली (राज.) को आरोपित अपराध धारा 366/120B भारतीय दंड संहिता सपठित धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संदेह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

15 अभियुक्तगण के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16 प्रकरण में जब्तशुदा वाहन अल्टो कार पंजीयन संख्या RJ-24-CA-7073 एवं मोटरसाइकिल RJ-03-BS-6557 पूर्व में सुपूर्दगीदार को सुपूर्द की जा चुकी है, जो कार तथा मोटरसाइकिल

सुपुर्दगीदार के पास ही रहेगी तथा सम्बन्धित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा अपील की समयावधि समाप्ति के पश्चात् स्वतः निरस्त समझे जावें अथवा अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन रहेंगे।

17 प्रकरण में शेष जब्तशुदा मालखाना सामग्री यदि कोई हो तो, अपील की समयावधि समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावे अथवा अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन नियमानुसार निस्तारित की जावे।

18 प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन परिवादीया को प्रतिकर प्रदत्त किए जाने की अनुशंषा नहीं की जा रही है।

(ललित डाबी)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अनु. जाति एवं
अनु. जनजाति (अ. नि.) प्रकरण, सिरोही (राज.)

19 निर्णयादेश आज दिनांक 08.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(ललित डाबी)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अनु. जाति एवं
अनु. जनजाति (अ. नि.) प्रकरण, सिरोही (राज.)

CHET RAM MEENA
"Authenticated Document"Digital Signed by Chetram, Steno Gr.III
Date: 2026.07.09 12:15:57 +0530